

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 146 सन 2021

अनवान :-

1. विजयपाल पुत्र राजाराम जाति मेधवाल निवासी किकराली तहसील नोहर ।
2. आत्माराम पुत्र राजाराम जाति मेधवाल निवासी किकराली तहसील नोहर ।
3. अमनदीप नाबालिग पुत्र इन्द्रपाल जरिये संरक्षिका माता मन्जू पत्नी इन्द्रपाल जाति मेधवाल निवासी किकराली तहसील नोहर ।

वादीगण

बनाम

1. इन्द्रपाल पुत्र भागीरथ जाति मेधवाल निवासी किकराली तहसील नोहर।
2. राजाराम पुत्र भागुराम जाति मेधवाल निवासी किकराली तहसील नोहर।
3. दयादेवी उर्फ देयादेवी पुत्री भागीरथ जाति मेधवाल निवासी किकराली तहसील नोहर।
4. सुखीदेवी पुत्री भागीरथ जाति मेधवाल निवासी किकराली तहसील नोहर।
5. कमलादेवी उर्फ कम्मादेवी पुत्री भागीरथ जाति मेधवाल निवासी किकराली तहसील नोहर।
6. प्रियंका नाबालिग पुत्रिया इन्द्रपाल जरिये संरक्षिका माता मन्जु पत्नी इन्द्रपाल जाति मेधवाल निवासी किकराली तहसील नोहर।
7. कान्ता नाबालिग पुत्रिया इन्द्रपाल जरिये संरक्षिका माता मन्जु पत्नी इन्द्रपाल जाति मेधवाल निवासी किकराली तहसील नोहर।
8. सरोज पुत्री राजाराम जाति मेधवाल निवासी किकराली तहसील नोहर।
9. माया पुत्री राजाराम जाति मेधवाल निवासी किकराली तहसील नोहर।
10. मैना पुत्री राजाराम जाति मेधवाल निवासी किकराली तहसील नोहर।
11. मीरा पुत्री राजाराम जाति मेधवाल निवासी किकराली तहसील नोहर।
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी

परोकार राज

निर्णय दिनांक :- 07/04/2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा चक 2 केएन के खाता संख्या 42/37 की कुल 1.1760 हैक में से 3/20 हिस्स प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के नाम एवं रोही मौजा चक 3 केएन के खाता संख्या 29/20 की कुल 2.0240 हैक भूमि में से 1/20 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के नाम से रोही मौजा किकराली के खाता संख्या 56/51 की कुल 7.6260 हैक चावलीदेवी के नाम से दर्ज है।

रोही मौजा किकराली की भूमि चावली पत्नी भागीरथ के नाम से दर्ज है जो वादी की दादी है जिसका देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान उसके पुत्र /पुत्रीया एवं उसके पुत्र/पुत्रीया है जो विरास्तन से अपने हक हिस्सा के अनुसार भूमि पाने के अधिकारी है अर्थात वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 के हक हिस्सा की भूमि है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा भागीरथ पुत्र रल्दुराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा भागीरथ पुत्र रल्दुराम के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र /पुत्रीया प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा भागीरथ पुत्र रल्दुराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें सजरा खानदान अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 का बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 3 ता 11 वादी की बहने/बुआ है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री एवं मृतक भागीरथ की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 3 ता 11 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1,2 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1


उपखण्ड अधिकारी
नोहर

,2 का बराबर का हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 व चावली के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पिता भागीरथ के देहान्त होने पर विरास्तन से प्राप्त हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 का बराबर का हक हिस्सा है तथा चावली देवी जो वादीगण की दादी है के देहान्त होने पर उनके नाम से दर्ज भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 के हक हिस्सा की भूमि है तथा प्रतिवादी संख्या 3 ता 11 ने निवेदन किया की उन्होंने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाई/पिता वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 , 2 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 12 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 2 के एन के खाता संख्या 42/37 की कुल 1.1760 हैक् में से 3/20 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के नाम एवं रोही मौजा चक 3 के एन के खाता संख्या 29/20 की कुल 2.0240 हैक् भूमि में से 1/20 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के नाम से रोही मौजा किकराली के खाता संख्या 56/51 की कुल 7.6260 हैक् चावलीदेवी के नाम से दर्ज है।


रोही मौजा किकराली की भूमि चावली पत्नी भागीरथ के नाम से दर्ज है जो वादी की दादी है जिसका देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान उसके पुत्र /पुत्रीया एवं उसके पुत्र/पुत्रीया है जो विरास्तन से अपने हक हिस्सा के अनुसार भूमि पाने के अधिकारी है अर्थात वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 के हक हिस्सा की भूमि है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा भागीरथ पुत्र रल्दुराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा भागीरथ पुत्र रल्दुराम के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र /पुत्रीया प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा भागीरथ पुत्र रल्दुराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पत्ति है जिसमें सजरा खानदान अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 का बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 3 ता 11 वादी की बहने/बुआ है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री एवं मृतक भागीरथ की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 3 ता 11 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 का बराबर का हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है वादी अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायाधिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर

 उपखण्ड अधिकारी
नोहर

निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार की रोही मौजा चक 2 केएन के खाता संख्या 42/37 की कुल 1.1760हैक् में से 3/20 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के नाम एवं रोही मौजा चक 3 केएन के खाता संख्या 29/20 की कुल 2.0240हैक् भूमि में से 1/20 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के नाम से रोही मौजा किकराली के खाता संख्या 56/51 की कुल 7.6260हैक् चावलीदेवी के नाम से दर्ज है।

जमाबन्दी सम्वत 2029 से 2038 मु0प्रबन्ध विभाग के अनुसार वाद भूमि भागीरथ के नाम से दर्ज थी अर्थात वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा भागीरथ वल्द रल्दु के नाम से दर्ज है वादी के दादा भागीरथ वल्द रल्दु के देहान्त होने के वाद विरास्तन से वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है विरास्तन से भूमि वादी के पिता/बुआ के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति होना साबित है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 ,8 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादी का हक हिस्सा है अर्थात दादा की सम्पति में पौते/पौतियों को बराबर का हक हिस्सा होगा। अर्थात वाद भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 के हक हिस्सा की भूमि है।


रोही मौजा किकराली की भूमि वादी की दादी चावली के नाम से दर्ज है जिसका देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 है अर्थात चावली के नाम से दर्ज भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 के हक हिस्सा की भूमि है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 3 ता 11 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 3 ता 11 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 3 ता 11 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 2 केएन के खाता संख्या 42/37 की कुल 1.1760हैक् भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के नाम से दर्ज है में से प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 का नाम कलमजन किया जाकर 3/20 हिस्सा भूमि के प्रतिवादी संख्या 1 ,2 बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है व रोही मौजा चक 3 केएन के खाता संख्या 29/20 की कुल 2.0240हैक् भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के नाम से दर्ज है में से प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 का नाम कलमजन किया जाकर 3/20 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ,2 बहिब के का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है तथा रोही मौजा किकराली के खाता संख्या 56/51 की कुल 7.6260हैक् भूमि में प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 व मृतक चावली का नाम कलमजन किया जाकर 1.2650हैक् भूमि वादी संख्या 3 एवं 2.548हैक् भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम व 2.5300हैक् भूमि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ,2 व व 1.2830हैक् भूमि प्रतिवादी संख्या 2 को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो ।

निर्णय आज दिनांक 07/04/2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर
नोहर

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. विजयपाल पुत्र राजाराम जाति मेधवाल निवासी किकराली तहसील नोहर ।
2. आत्माराम पुत्र राजाराम जाति मेधवाल निवासी किकराली तहसील नोहर ।
3. अमनदीप नाबालिग पुत्र इन्द्रपाल जरिये संरक्षिका माता मन्जू पत्नी इन्द्रपाल जाति मेधवाल निवासी किकराली तहसील नोहर ।

वादीगण

बनाम

1. इन्द्रपाल पुत्र भागीरथ जाति मेधवाल निवासी किकराली तहसील नोहर ।
2. राजाराम पुत्र भागुराम जाति मेधवाल निवासी किकराली तहसील नोहर ।
3. दयादेवी उर्फ देयादेवी पुत्री भागीरथ जाति मेधवाल निवासी किकराली तहसील नोहर ।
4. सुखीदेवी पुत्री भागीरथ जाति मेधवाल निवासी किकराली तहसील नोहर ।
5. कमलादेवी उर्फ कम्मादेवी पुत्री भागीरथ जाति मेधवाल निवासी किकराली तहसील नोहर ।
6. प्रियंका नाबालिग पुत्रिया इन्द्रपाल जरिये संरक्षिका माता मन्जू पत्नी इन्द्रपाल जाति मेधवाल निवासी किकराली तहसील नोहर ।
7. कान्ता नाबालिग पुत्रिया इन्द्रपाल जरिये संरक्षिका माता मन्जू पत्नी इन्द्रपाल जाति मेधवाल निवासी किकराली तहसील नोहर ।
8. सरोज पुत्री राजाराम जाति मेधवाल निवासी किकराली तहसील नोहर ।
9. माया पुत्री राजाराम जाति मेधवाल निवासी किकराली तहसील नोहर ।
10. मैना पुत्री राजाराम जाति मेधवाल निवासी किकराली तहसील नोहर ।
11. मीरा पुत्री राजाराम जाति मेधवाल निवासी किकराली तहसील नोहर ।
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ ।


प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 146 सन 2021 निर्णय दिनांक-07/04/2021

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं परोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 2 केएम के खाता संख्या 42/37 की कुल 1.1760हैक् भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के नाम से दर्ज है में से प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 का नाम कलमजन किया जाकर 3/20 हिस्सा भूमि के प्रतिवादी संख्या 1,2 बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है व रोही मौजा चक 3 केएम के खाता संख्या 29/20 की कुल 2.0240हैक् भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के नाम से दर्ज है में से प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 का नाम कलमजन किया जाकर 3/20 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1,2 बहिब का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है तथा रोही मौजा किकराली के खाता संख्या 56/51 की कुल 7.6260हैक् भूमि में प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 व मृतक चावली का नाम कलमजन किया जाकर 1.2650हैक् भूमि वादी संख्या 3 एवं 2.548हैक् भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम व 2.5300हैक् भूमि प्रतिवादी संख्या 1,2 व 1.2830हैक् भूमि प्रतिवादी संख्या 2 को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 07/04/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
उपखण्ड अधिकारी
नोहर (हनुमानगढ)
नोहर